पत्रांक–3 / एम०–08 / 2021सा0प्र0...6642.../

बिहार सरकार
सामान्य प्रशासन विभाग

प्रेषक,

गुफरान अहमद,
सरकार के उप सचिव।

सेवा में,

सभी अपर मुख्य सचिव / प्रधान सचिव / सचिव
पुलिस महानिदेशक
सभी विभागाध्यक्ष
सभी प्रमंडलीय आयुक्त
सभी जिला पदाधिकारी।

पटना, दिनांक ...6. 7.... 2021

विषय– ए0सी0पी0 / एम0ए0सी0पी0 पर विचार के क्रम में सेवानिवृत्त / मृत सरकारी सेवक की चारित्री की अनुपलब्धता के संबंध में।

महाशय,

निदेशानुसार उपर्युक्त विषय के संदर्भ में कहना है कि गोपनीय अभ्युक्तियों की अनुपलब्धता के कारण सरकारी सेवकों को देय प्रोन्नति / ए0सी0पी0 / एम0ए0सी0पी0 में होने वाले विलम्ब को रोकने हेतु सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा गोपनीय अभ्युक्तियों के ससमय अभिलेखन के संबंध में विभिन्न परिपत्र निर्गत किये गये हैं। इस संबंध में निर्गत विभागीय परिपत्र सं0–10570 दिनांक– 24.10.2007, परिपत्र संख्या–2108 दिनांक–31.05.2010, परिपत्र सं0–1836 दिनांक 01.02.2013 एवं परिपत्र संख्या–8060 दिनांक–03.06.2016 द्वारा सरकारी सेवकों की गोपनीय अभ्युक्तियों की अनुपलब्धता की स्थिति में उन्हें देय प्रोन्नति पर विचारण हेतु निम्नांकित विकल्प प्रावधानित किये गये हैं–

(i) परिपत्र सं0 10570 दिनांक 24.10.2007 के अनुसार यदि किसी कारणवश देय प्रोन्नति की तिथि / वर्ष से पिछले पाँच वर्षों में से मात्र तीन वर्षों की ही गोपनीय अभ्युक्तियाँ उपलब्ध हो तो, उक्त पाँच वर्षों से पूर्व के संलग्न वर्षों

की उपलब्ध गोपनीय अभ्युक्तियों में से दो वर्षों की अभ्युक्तियों का अवलोकन कर उसके आधार पर प्रोन्नति के मामले पर विचार किया जाय।

(ii) पिछले पाँच वर्षों में से तीन वर्षों की भी गोपनीय अभ्युक्तियाँ उपलब्ध नहीं रहने की स्थिति में परिपत्र संख्या–2108 दिनांक–31.05.2010 द्वारा वर्ष 2009–10 तक की अनुपलब्ध वार्षिक गोपनीय अभ्युक्तियों के मामले में यह निर्णय संसूचित किया गया था कि यदि ऐसी गोपनीय अभ्युक्तियों को अभिलिखित कराया जाना संभव नहीं रह गया हो तो वैसे वर्षों के लिए सम्बंधित सरकारी सेवक के वर्त्तमान पदस्थापन वाले विभाग/कार्यालय के प्रधान सचिव/सचिव/ विभागाध्यक्ष/नियंत्री प्राधिकार द्वारा सम्बन्धित सरकारी सेवक के कार्य कौशल, चरित्र, आचरण आदि का मूल्यांकन करते हुए विशेष चारित्री प्रमाण–पत्र दिया जाय। ऐसा प्रमाण–पत्र, किसी सरकारी सेवक के पूरे सेवाकाल में मात्र एक बार दिया जायेगा और इसे अनुपलब्ध वार्षिक गोपनीय अभ्युक्तियों का पर्याय माना जायेगा तथा इसके आधार पर संबंधित सरकारी सेवक को देय प्रोन्नति हेतु योग्यता का आकलन किया जा सकेगा।

(iii) परिपत्र संख्या–1836 दिनांक–01.02.2013 द्वारा विशेष चारित्री प्रमाण–पत्र सम्बंधी उपर्युक्त कंडिका के प्रस्ताव को वर्ष 2009–10 के स्थान पर वर्ष 2010–11 तक के लिए विस्तारित किया गया।

(iv) परिपत्र संख्या–8060 दिनांक–03.06.2016 द्वारा विशेष चारित्री प्रमाण–पत्र पूरे सेवाकाल में एक बार दिये जा सकने के प्रतिबंध को अगले आदेश तक शिथिल किया गया।

2. फिर भी ऐसा देखा जा रहा है कि सेवानिवृत्त/मृत सरकारी सेवकों की चारित्री/विशेष चारित्री का अभिलेखन उनके अन्तिम पदस्थापन वाले विभाग से नहीं किये जाने के कारण सेवानिवृत्त/मृत सरकारी सेवकों की संगत अवधि की चारित्री अनुपलब्ध रहती है। फलतः ऐसे सरकारी सेवकों के विरुद्ध कोई आरोप नहीं होने, कोई अन्यथा प्रतिकूल अभ्युक्ति नहीं होने तथा ए0सी0पी0/एम0ए0सी0पी0 की स्वीकृति हेतु

उनके अन्यथा पूर्णतः योग्य होने के बावजूद भी चारित्री के अभाव में विभागीय स्क्रीनिंग समिति द्वारा उनको देय ए0सी0पी0/एम0ए0सी0पी0 को लम्बित रखा जाता है। यहाँ उल्लेखनीय है कि सरकारी सेवकों के चारित्री का अभिलेखन समय पर सुनिश्चित किया जाना सरकार का दायित्व है न कि संबंधित सरकारी सेवक का। अतः प्रशासी विभागों द्वारा ससमय चारित्री अभिलेखित नहीं कराये जाने के कारण संबंधित सरकारी सेवक/उसके आश्रित को उसकी सेवानिवृत्ति/मृत्यु के उपरान्त अनावश्यक परेशानी होती है।

3. अतः उक्त वर्णित स्थिति में सेवानिवृत्त/मृत सरकारी सेवकों को हो रही अनावश्यक कठिनाई को दूर करने के लिए ए0सी0पी0/एम0ए0सी0पी0 की स्वीकृति के प्रयोजन से अनुपलब्ध चारित्रियों के संदर्भ में निम्नवत् निर्णय लिया जाता है–

> "ए0सी0पी0/एम0ए0सी0पी0 की स्वीकृति के विचारण के क्रम में यदि किसी सेवानिवृत्त/मृत सरकारी सेवक के विरुद्ध कोई आरोप प्रतिवेदित नहीं हो, कोई अन्यथा प्रतिकूल अभ्युक्ति नहीं हो तथा ए0सी0पी0/एम0ए0सी0पी0 की स्वीकृति हेतु निर्धारित अन्य अर्हताएँ उनके द्वारा पूरी की जा रही हों, तो ऐसे मामलों में चारित्री की उपलब्धता की अपेक्षा को शिथिल करते हुए उन्हें अनुमान्य ए0सी0पी0/एम0ए0सी0पी0 स्वीकृत किया जायेगा।"

4. अतः अनुरोध है कि उपर्युक्त निर्णय से अपने अधीनस्थ पदाधिकारियों/कर्मचारियों को अवगत कराने की कृपा की जाय।

विश्वासभाजन,

(गुफरान अहमद)
सरकार के उप सचिव।